यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) हल्द्वानी** के माह 09/2016 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो सुश्री सरूनी शर्मा, व.ले.प, श्री कलवन्त सिंह, एवं श्री डी.के.श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.01.2019 से 29.01.2019 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.09.2016 से 29.09.2016 तक --------- लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह ------- से ------- तक एवं व्यय हेतु माह 08/13 से 08/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह ----- से ---------- तक एवं व्यय हेतु माह 09/16 से 03/2018 के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: क्रियाकलाप- वन्यजीव संरक्षण एवं वनों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- जोशीमठ रेन्ज एवं गोविन्दधार रेन्ज

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
	शून्य

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)**		**स्थापना**		**गैर स्थापना (` लाख में)**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	-		121.56	121.56	0.75	0.75		
2016-17	-		121.48	121.48	-	-		
2017-18	-		181.37	181.37	-	-		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रा0 अ0**	**प्राप्त**	**व्यय**	**बचत(-)/ आधिक्य (+)**
लागू नहीं					

इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई C श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना- कार्य योजना अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) हल्द्वानी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह -------- को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 12/2017 & 06/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: लागू नहीं

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 "क"

प्रस्तर-1 कार्य योजना के प्रभावी न होने पर भी वन प्रभागों का संचालन ।

National working plan code-2014 के अनुसार working plan has been the main instrument of forest planning in the country for scientific management of forest.(para-1). All forests are to be sustainably managed under the prescriptions of a working plan/scheme .The national forest policy clearly states "no forest should be permitted to be worked without an approved working plan by the competent authority."(para-3). Generally the working plan is to be revised every 10 years and the preparation of the working plan of a territorial forest division should normally take two years which may vary depending upon the volume of work and technical facilities available.(para-31) It is the responsibility of the PCCF (HOFF) to ensure proper planning for the preparation of working plan for all forest divisions.(para-33) तथा (para-29) के अनुसार प्रत्येक कार्य योजना यूनिट के अंतर्गत दो सहायक वन संरक्षक,चार रेंजर व 12 फोरेस्टरों को होना चाहिए।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) उत्तराखंड, हल्द्वानी के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा 27 वन प्रभागों (आरक्षित वन क्षेत्र) की कार्य योजना बनाई जानी होती है। आगे जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में निम्न तीन प्रभागों की कार्य योजना अवधि समाप्त हो चुकी थी-

प्रभाग का नाम	कार्य योजना अवधि	कार्य योजना समाप्ति का दिनाँक
टोन्स वन प्रभाग	2005-06 से 2014-15	30-09-15
अल्मोड़ा वन प्रभाग	2006-07 से 2015-16	30-09-16
चकराता वन प्रभाग	2007-08 से 2016-17	30-09-17

National working plan code-2014 के पैरा 31 के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र की कार्य योजना समाप्ति के दो वर्ष पूर्व नई कार्य योजना शुरू कर देना चाहिए जबकि उपरोक्त तीनों वन प्रभागों मे निम्न प्रकार विलम्ब से कार्य योजना शुरू की गई-

क्र0	कार्य योजना	कार्य योजना पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की नियत तिथि	कार्य योजना अधिकारी की तैनाती का दिनाँक	कार्य योजना यूनिट के अंतर्गत निर्धारित स्टाफ	कार्य योजना प्रभाग मे वास्तविक तैनात स्टाफ
1.	टोन्स वन प्रभाग	01.07.2013	30.11.2017	सहायक वन संरक्षक-2 रेंजर -4 फोरेस्टर-12	फोरेस्टर-2
2.	अल्मोड़ा वन प्रभाग	01.07.2014	26.02.2018	सहायक वन संरक्षक-2 रेंजर -4 फोरेस्टर-12	फोरेस्टर-2
3.	चकराता वन प्रभाग	01.07.2015	30.11.2017	सहायक वन संरक्षक-2 रेंजर -4 फोरेस्टर-12	रेंजर-1 फोरेस्टर-3

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त तीन वन प्रभागों मे कार्य योजना के पुनरीक्षण के कार्य 2 से 4 वर्षो के विलम्ब से शुरू की गई तथा वर्तमान तक कार्य योजना यूनिट के अंतर्गत आवश्यक स्टाफ की तैनाती भी नहीं की गई जिस कारण उक्त प्रभागों मे समस्त प्रकार के वानिकी कार्य, नियमित छपान एवं लीसा विदोहन न होने से राजस्व की क्षति हो रही है। अकेले टोन्स वन प्रभाग, पुरोला(उत्तरकाशी) मे ही विगत तीन वर्षो मे लीसा विदोहन न होने से ₹ 3.75 करोड़ की राजस्व हानि हो चुकी है ।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि नैशनल वर्किंग प्लान कोड -2014 के पैरा-33 के अनुसार समस्त वन प्रभागों की कार्य योजना के पुनरीक्षण/निरूपण हेतु प्रमुख वन सरक्षक (HOFF), उत्तराखंड देहारादून उत्तरदायी है ।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	शून्य		

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
	शून्य		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः** शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री विनीत पागती	अ0मु0व0सं0

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना) हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(राजस्व क्षेत्र)